संपादकीय जागरण

सोमवार, 23 जुलाई, 2018 : आषाढ़ शुक्ल 11 वि. 2075

ज्ञान का सर्वोच्च स्वरूप है आत्मज्ञान

नए कानून की जरूरत

भीड़ की हिंसा के खिलाफ कोई प्रभावी कानून बनाने की तैयारी समय की मांग है। ऐसा महज इसलिए आवश्यक नहीं है कि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जरूरत जताई है। इसकी आवश्यकता इसलिए अधिक है, क्योंकि भीड़ की हिंसा के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते कुछ समय से तो आए दिन ऐसे समाचार सामने आ रहे हैं जिनमें लोगों का उग्र समूह किसी संदिग्ध अथवा निर्दोष-निहत्थे व्यक्ति से अपने हिसाब से निपट रहा होता है। इस तरह की घटनाओं में लोगों की जान तक जा रही है। विगत दिवस ही अलवर में गो-तस्कर होने के शक में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इसके पहले भी देश के अनेक हिस्सों से ऐसी अनेक घटनाएं घट चुकी हैं जिनमें किसी को बच्चा चोर होने के संदेह में पीट-पीट कर मार दिया गया अथवा अन्य कारणों से। ऐसी घटनाएं कानून एवं व्यवस्था का उपहास उड़ाने वाली और भारतीय समाज के चेहरे को विकृत रूप में पेश करने वाली हैं। ये घटनाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी करा रही हैं। यह सहज-सामान्य नहीं कि आज जब दुनिया में भारत की चर्चा मुख्यतः सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में हो रही है तब भीड़ की हिंसा के चलते विश्व समुदाय को हैरान-परेशान कर रहे हैं। भीड़ की हिंसा के मामलों पर यह कहकर कर्तव्य की इतिश्री नहीं की जा सकती कि भारत में इस तरह की घटनाएं होती ही रहती हैं। यह सही है कि भीड़ की हिंसा के मामले नए नहीं हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन पर विराम लगने के बजाय उनमें और तेजी दिखाई दे। दुर्भाग्य से वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है।

भीड़ की हिंसा के खिलाफ कानून बनाने के मामले में एक तर्क यह है कि किसी नए कानून की आवश्यकता नहीं है। पहले से ही ऐसे कानून उपलब्ध हैं जिनके जरिये भीड़ के हिंसक व्यवहार वाले मामलों से निपटा जा सकता है। यह तर्क निराधार नहीं, लेकिन कोई नया कानून बनाने का काम इसलिए किया जाना चाहिए ताकि समाज को यह संदेश दिया जा सके कि सभ्य समाज को शर्मिंदा करने वाली इस तरह की घटनाओं को सहन नहीं किया जाएगा। चूंकि भीड़ की हिंसा के मामले खुद न्याय करने की मनोवृत्ति का परिचायक हैं इसलिए केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं। आम जनता को इसके लिए सचेत करने की भी जरूरत है कि कोई भी किसी को दंड देने का काम अपने हाथ में नहीं ले सकता और जो भी ऐसा करेगा वह कठोर दंड का भागीदार बनेगा। बेहतर यह होगा कि हाल में भीड़ की हिंसा के जो भी मामले सामने आए हैं उनमें दोषी लोगों को दंडित करने का काम शीघ्रता से किया जाए। स्पष्ट है कि इसके लिए पुलिस के साथ-साथ न्याय प्रक्रिया को भी तत्परता का परिचय देना होगा। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में कानून तो कड़े कर दिए गए, लेकिन दोषी लोगों को आनन-फानन दंडित करने का सिलसिला कायम नहीं किया जा सका। केंद्र और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भीड़ की हिंसा के मामले में ऐसा न होने पाए।

गहराता संकट

दो दशक पहले भूगर्भ जल संकट को अदृश्य संकट माना जाता था क्योंकि तब प्रदेश के कई अंचलों, खासकर पश्चिमी जिलों में भूगर्भ जल स्तर में गिरावट के बावजूद इसका प्रभाव सीमित था। वैज्ञानिक और भूगर्भ शास्त्री उस वक्त से ही समाज और सरकार को सचेत कर रहे थे। इसके बावजूद समाज चेता, न सरकार। नियम-कानून के अभाव का लाभ उठाकर लोग भूगर्भ जल का अंधाधुंध दोहन करते रहे। नतीजे विकट परिस्थिति के रूप में अब सामने आने लगे हैं। भूगर्भ जल स्तर में साल दर साल तीव्र गिरावट के चलते लाखों नलकूप और हैंडपंप बेकार हो चुके हैं। मध्य और पश्चिमी उप्र के अधिकतर जिलों में हालात गंभीर हो चुके हैं, इसके बावजूद सरकारी एजेंसियां इस संकट को लेकर चिंतित या सजग नहीं दिखतीं।

भूगर्भ जल विभाग के मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि इस संकट से निपटने के लिए उनके विभाग के पास न बजट है और न कोई अन्य संसाधन। विभाग में अभियंताओं के 80 फीसद पद रक्त पड़े हैं। जिनके निकट भविष्य में भरे जाने की कोई कवायद नहीं हो रही। मंत्री की यह स्वीकारोक्ति हतप्रभ और भयभीत कर देने वाली है। जिस विभाग और मंत्री पर इस संकट से निपटने की जिम्मेदारी है, वह बजट और मानव संसाधन की कमी बताकर लाचारी दर्शा रहे हैं। शायद हमारे नीति निर्धारक हालात और बिगड़ने का इंतजार कर रहे हैं। बेहतर होगा कि सरकार और समाज नींद से जगें और इस संकट से उबारने के लिए कमर कसें। संकट जहां तक पैर पसार चुका है, उसे देखते हुए अब सिर्फ सेमिनार आयोजित करने और समझाने-बुझाने से काम नहीं चलेगा। भूगर्भ जल के उपभोग का नियमन करने के लिए प्रभावी कानून की जरूरत है।

भूगर्भ जल संकट जिस गहराई में जा पहुंचा है, वहां से उबरने के लिए कानून का सहारा लेने में हिचक नहीं होनी चाहिए

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

संसद में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले लगना क्या संसदीय गरिमा के अनुरूप था?

आज का सवाल

क्या मांग में कमी से जूझ रहे उद्योगों को जीएसटी दरें घटने से राहत मिलेगी?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POLL लिखें, स्पेस देकर Y, N या C लिखकर 57272 पर भेजें Y-हां, N-नहीं, C-कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

उच्च शिक्षा के समक्ष बड़ा संकट

गिरीश्वर मिश्र

अब निरंतर घटती गुणवत्ता वाली शिक्षा से निकल रहे अधिसंख्य छात्रों के हुजूम से शिक्षा को बचा पाना थोड़ी सी अच्छी संस्थाओं के बस की बात नहीं

अवधेश राजपूत

भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था से आज सभी तबकों को शिकायत है। शिक्षा के प्रत्यक्ष हितग्राही छात्र और अध्यापक भी शिक्षा में सुधार चाहते हैं, परंतु सुधार की आकांक्षा का अभिप्राय सबके लिए एक सा नहीं है। पढ़ाई के लिए अवसरों की कमी यानी प्रवेश, शिक्षण की गुणवत्ता का ह्रास, अध्ययन-अध्यापन की परिस्थितियों में सुधार, रोजगार के अवसरों का अभाव और महंगा होता शिक्षण-प्रशिक्षण ऐसे खास मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वर्षों से चिंता व्यक्त की जा रही है। इन्हें लेकर सरकारी तंत्र के कामचलाऊ रवैये के कारण छात्रों, अभिभावकों, शिक्षाविदों और नीति-निर्धारकों सभी में असंतोष है। ऐसी परिस्थितियां कमोबेश केंद्र के साथ ही सभी राज्यों के शिक्षा संस्थानों में देखी जा सकती हैं। परिसरों में गैर अकादमिक प्रभाव हावी हो रहे हैं। आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में न केवल निजी संस्थाओं की वृद्धि हुई है, बल्कि दूर शिक्षा, निजी विश्वविद्यालय, स्ववित्त पोषित कार्यक्रम, विदेशी संस्थानों के साथ साझेदारी में पाठ्यक्रम आदि भी चल रहे हैं। इस शैक्षिक कोलाहल में मौलिकता, सृजनशीलता और नवोन्मेष जैसे सरोकार अनसुने रह जा रहे हैं। जब पश्चिम अंधकार में डूबा था तब भारत में उच्च स्तर के विश्वविद्यालय थे, परंतु आज दुनिया के शीर्ष संस्थानों की सूची से भारतीय संस्थान नदारद हैं। अंग्रेजी राज में 1857 में सार्वजनिक क्षेत्र में मद्रास, कलकत्ता और बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। ये विशुद्ध प्रशासनिक संस्थाएं थीं न कि शिक्षण संस्थान। लंदन विश्वविद्यालय के संघीय ढांचे की तर्ज पर विश्वविद्यालय का काम स्थानीय महाविद्यालयों को संबद्धता देना, पाठ्यक्रम बनवाना, परीक्षा करवाना और डिग्री देना था। जो महाविद्यालय थे वे भारत के उच्च वर्ग के लोगों को औपनिवेशिक नौकरशाही के लिए तैयार करते थे। अभिजात वर्ग ही शिक्षा संचालित कर रहा था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 से एकात्मक विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, परंतु 1919 में भारत सरकार के एक्ट ने इसे उलटकर संघीय रूप और प्रांतों की प्रशासन व्यवस्था को बहाल किया। 1921 में राष्ट्रीय सरकार ने शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार मंडल (केब) का गठन किया जो प्रांतीय सरकारों से जुड़े नीतिगत मसलों पर आम सहमति ला सके। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन 1946 में हुआ।

संविधान शिक्षा का दायित्व मुख्य रूप से राज्यों को सौंपता है। यद्यपि केंद्र को अवशिष्ट शक्तियों से ताकत दी है। केंद्र को बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, उच्च शिक्षा का संयोजन एवं स्तर का निर्धारण तथा केंद्रीय अनुदान पाने वाले संस्थानों के साथ ही वैज्ञानिक या तकनीकी संस्थाओं की जिम्मेदारी दी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी 1964 में नियामक संस्था के रूप में अस्तित्व में आया। राज्य सरकारों को अनुदान देना शुरू हुआ जो आधार संरचना के बदले संचालन के लिए था। सरकार ने यूजीसी, नैक, एनसीटीई, और एनआइसीटी जैसी संस्थाओं को स्थापित कर नियंत्रित-नियमित करने और निगरानी की प्रणाली बनाई पर स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। शिक्षा को औद्योगीकरण जैसे नए राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ा गया। केंद्र और प्रदेश की सरकारों के बीच अनुदान और नियमन को लेकर मतभेद शुरू हुए। सामाजिक रूप से समावेशी बनाने के लिए अपेक्षित सुविधा जुटाए बिना छात्र संख्या बढ़ा दी गई। जनप्रिय कारवाई के तौर पर राज्यों ने उच्च शिक्षा को अधिकाधिक व्यापक बनाया। निजीकरण को बढ़ावा दिया और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। अब निरंतर घटती गुणवत्ता वाली शिक्षा से निकल रहे अधिसंख्य छात्रों के हुजूम से शिक्षा को बचा पाना थोड़ी सी अच्छी संस्थाओं के बस की बात नहीं। उल्टे वे अपना स्तर बचाए रखने में नाकामयाब हो रही हैं।

राज्यों के पास आधार संरचना के लिए धनाभाव था। सरकारें नियुक्ति हो या अकादमिक रीति-नीति सभी पर नियंत्रण जमाती गईं। नीति, वरीयता और कार्यक्रम को निश्चित करने की शक्ति केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ली। वस्तुतः केंद्र और राज्य दोनों ही अपने क्षेत्रों में अधिकाधिक नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ते गए। फर्क यही था कि केंद्र सरकार ने जहां कम संख्या और गुणवत्ता पर ध्यान दिया वहीं राज्य स्थानीय राजनीति के प्रभाव में गुणवत्ता की अनदेखी कर महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाते गए। इस युवा देश को ज्ञान की शक्ति से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। आज ज्ञान केंद्रित अर्थव्यवस्था में भागीदारी हेतु वैश्विक और राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतर सकें इस उद्देश्य से युवाओं को कौशल संपन्न बनाने का संकल्प लिया जा रहा है। परिणामोन्मुखी शिक्षा व्यवस्था हो और रोजगार की संभावना बढ़ाने पर जोर है। इसके लिए पाठ्यक्रम में सुधार, अकादमिक संसाधनों की उपलब्धता, अध्यापन और शोध की गुणवत्ता में सुधार, प्रौद्योगिकी का उपयोग और समावेश, वैकल्पिक शिक्षण की पद्धति और पारदर्शी, सतर्क प्रशासन और प्रबंध उपलब्ध कराना प्रमुख हो गए हैं। ज्ञान के साथ कुशलता, सम्यक दृष्टिकोण और मूल्य भी विकसित होने चाहिए। इनके लिए प्रभावी नियामक व्यवस्था स्थापित करना अपेक्षित है।

आज सभी प्रमुख देशों के उच्च शिक्षा केंद्रों में नियामक संस्थाओं का दखल कम हो रहा है, परंतु भारत में सरकारी शिकंजा कसता जा रहा है। बीमार पड़ी उच्च शिक्षा व्यवस्था के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यूजीसी के स्थान पर एक उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है जो गुणवत्ता के संरक्षण, संवर्धन और निगरानी की व्यवस्था करेगा जबकि शिक्षा के संसाधन सीधे मंत्रालय के नियंत्रण में रहेंगे। सरकार मानती है कि दोहरी नौकरशाही की मजबूत जकड़बंदी के बिना शैक्षिक उत्कृष्टता को गति नहीं दी जा सकेगी। सरकार के मन में उच्च शिक्षा के लिए शायद एनसीईआरटी की तर्ज पर कोई उच्च स्तरीय व्यवस्था ही विकल्प लगती है। प्रभावी नियामक संस्था के अभाव में उच्च शिक्षा की साख को बट्टा लगता है। गिरते शिक्षा स्तर को देखते हुए परिवर्तन बेहद जरूरी है, परंतु उसे शिक्षा जगत की स्वायत्तता की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

आज आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण शैक्षिक स्तर में गिरावट आई है। आज उच्च शिक्षा असंगठित परिवार जैसी हुई जा रही है। नियामक संस्थाओं की भूमिका सहज करने वाली होनी चाहिए। आज के नियामक तौर-तरीके बड़े जटिल, बहुस्तरीय और समयसाध्य हैं। नीति में अस्थिरता नहीं होनी चाहिए। उनके द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण भ्रम, विलंब और अनुत्साह का माहौल बनता है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर वित्तीय संसाधनों, उपलब्धता और समानता, गुणवत्ता के मानक और प्रासंगिकता के प्रश्न महत्वपूर्ण हो रहे हैं। इसके लिए सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के निवेश की जरूरत है। बीते दो दशकों में उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन यह विस्तार अव्यवस्थित ही अधिक रहा है। अपर्याप्त आर्थिक संसाधनों के बिना सार्वजनिक संस्थान और मुनाफा कमाने वाले निजी संस्थान दोनों उच्च शिक्षा का स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। इन समस्याओं का निराकरण करने पर ही नई संस्था सार्थक सिद्ध होगी।

(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं)

response@jagran.com

गंगा को बचाने के गलत उपाय

राजेंद्र सिंह

गंगा प्राधिकरण ने जो काम दस साल पहले रोक दिए थे नमामि गंगे में अब उन्हीं कार्यों को फिर से किया जा रहा है

गंगा को हमारे समाज में मां का दर्जा हासिल है। इसीलिए उसे गंगा मैया भी कहते हैं। बहरहाल गंगा के विकास के लिए शुरू की गई तमाम योजनाएं ही आज इस नदी का बंटाधार कर रही हैं। आधुनिक घाटों, बांधों, बैराजों और एसटीपी के निर्माण से गंगा की अविरलता-निर्मलता में बाधा पैदा हुई है। जैसे हमारे शरीर के रक्त प्रवाह में बाधा आने से हार्ट अटैक होता है वैसे ही गंगा पर बैराज बनने से नदी का जल प्रवाह रुक गया है। विडंबना यही है कि गंगा के रक्त प्रवाह की बीमारी का इलाज दंत चिकित्सक से कराया जा रहा है। परिणामस्वरूप दिन-प्रतिदिन गंगा की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। जबकि इलाज के नाम पर बेइंतहा पैसा खर्च किया जा रहा है। गंगा प्राधिकरण ने जिन कामों को दस वर्ष पहले रोक दिया था अब नमामि गंगे में उन्हीं कार्यों को टुकड़ों-टुकड़ों में किया जा रहा है।

वर्ष 2014 में गंगा के लिए सबसे ज्यादा समर्पित और सक्षम व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखते थे, लेकिन अब चार वर्ष बीत जाने के बाद इस प्रतिबद्धता के ठोस परिणाम नहीं दिखे हैं। अब गंगा के उपचार के लिए हमें प्रो. जीडी अग्रवाल जैसे सक्षम और समर्पित व्यक्ति चाहिएं जो गंगा को निर्मल बनाने का विज्ञान समझते हैं। वह गंगा के सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहलू को भी जानते हैं। वही गंगा की अविरलता और निर्मलता के विज्ञान को भी जानते हैं। अविरलता-निर्मलता के साम्य को समझे बिना गंगा की चिकित्सा नहीं हो सकती। गंगा दुनिया की दूसरी नदियों से अलग विशिष्टताओं वाली नदी है। गंगा जल विशिष्ट है। आधुनिक भारत में सैकड़ों शोध हुए हैं जिनसे यह विशिष्टता सिद्ध हुई है। जैसे कानपुर से 20 किलोमीटर ऊपर बिठूर से लिए गंगाजल में कॉलिफोर्म नष्ट करने की विलक्षण शक्ति मौजूद है जो कानपुर के जल आपूर्ति कुएं में आधी रह जाती है और यहां के भूजल में यह शक्ति शून्य हो जाती है। यह गंगाजल में मौजूद सूक्ष्म कणों (बायोफाज्म) के कारण है। हरिद्वार के गंगा जल में बीओडी को नष्ट करने की जबरदस्त क्षमता है। इसका क्षय करने वाले तत्वों का सामान्य जल से 16 गुना अधिक है।

यह हिमालय की वनस्पतियों से आए अंशों के कारण संभव है। भागीरथी के जल में धातुओं के एक विशिष्ट मिश्रण की शक्ति का पता चला है। ऐसा मिश्रण संसार में अभी तक कहीं नहीं मिला है। टिहरी बांध से ऊपर गंगा जल में जिन विशेष तत्वों की मौजूदगी थी वे अब गाद के साथ पीछे बैठ गए और बांध के नीचे आने वाले जल में कोलीफॉर्म नाशक या सड़न नाशक क्षमता शून्य रह गई है। अभी 2017 में गंगा के डीएनए विश्लेषण से पता चलता है कि ऊपरी गंगा गाद में बीसों रोगों के रोगाणुओं को नष्ट करने की अद्भुत शक्ति है। इसमें 18 रोगाणु प्रजातियां जिनमें टीबी, हैजा, पेट की बीमारियां और टाइफाइड शामिल है। गंगा जल की ये सभी विशेषताएं पहले गढ़मुक्तेश्वर तक कुछ अंशों में मिलती थीं, लेकिन अब उद्योगों से निकले रासायनिक कचरे के कारण हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर के जल में अब काफी समानताएं देखने को मिलती हैं। केंद्रीय जल बोर्ड और जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारी गंगा जल की विशिष्टताओं को समझकर गंगा का इलाज करने में सक्षम नहीं है। इसके लिए जीडी अग्रवाल जैसे व्यक्ति ही सक्षम हैं। चूंकि मौजूदा सरकार के साथ उनकी पटरी मेल नहीं खाती, लिहाजा यह जुगलबंदी नहीं बन पा रही है। गंगा नदी का सही इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकारें गंगा के लिए चिकित्सक ढूंढते समय अपना और पराया देखती हैं।

गंगा को स्वच्छ बनाने पर सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च किए हैं, लेकिन वह रकम एक तरह से बर्बाद ही कही जाएगी। कोई भी जल संशोधन संयंत्र ठीक से नहीं चल रहा है। सभी संयंत्रों के स्थान चयन में भी गड़बड़ हुई है। शायद संयंत्र स्थापना में भी भ्रष्टाचार हुआ है। जहां संयंत्र लग सकता है वहां घाट बनाए जा रहे हैं। घाटों का निर्माण भी वैज्ञानिक तरीकों से गलत है। इस मामले में जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती यदि उनके साथ सख्ती की गई होती तो शायद दूसरे भी मुस्तैदी दिखाते। अधिकारियों के लिए गंगा माई नहीं कमाई है। इसीलिए अधिकारी माई से कमाई करके फल-फूल रहे हैं। एक भी अधिकारी को जेल नहीं भेजा गया। यदि ऐसे कुछ अधिकारियों पर सख्ती कर दी गई होती तो बाकियों की अकल भई ठिकाने आ जाती।

अब गंगा के लिए जहां जिस काम की जरूरत है, वहां वह काम नहीं होता है। आज गंगा के नाम पर सारा पैसा स्मार्ट सिटी के तहत एसटीपी बनाने और घाटों के निर्माण पर खर्च हो रहा है। यह तो शहरों का काम है गंगा का नहीं। जो अधिकारी इस मुहिम में लगे हैं उन्हें प्रधानमंत्री सीधे दंडित करें। वहीं गंगा को अविरल-निर्मल बनाने वाले की दिशा में काम करने के लिए सक्षम और और समर्पित लोगों को जुटाकर गंगा के काम में लगाएं। गंगा को अविरल और निर्मल बनाने का पहला काम संसद में कानून पास करना है। इस कानून का प्रारूप सरकार के पास मौजूद है। इस गंगा कानून को सभी दल पारित कराने के लिए तत्पर होंगे, लेकिन भारत सरकार को इस दिशा में पहल करने की जरूरत है। मानसून सत्र में यह अभी तक पेश नहीं हुआ है जबकि इसका प्रारूप सरकार के पास तैयार है। शायद मंत्रालय के अधिकारी यह प्रारूप मंत्री को नहीं सौंप रहे हैं। ऐसे सभी अधिकारियों को चाहिए कि वे अपनी जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। गंगा एवं राष्ट्र हित में अपना फर्ज निभाएं। सरकार को गंगा की संवेदनाओं को समझकर अविरलता-निर्मलता सुनिश्चित करने वाला एक अधिनियम बनाना चाहिए। तभी प्रो. जीडी अग्रवाल के प्राण बचेंगे।

गंगा जल विशिष्टता को संरक्षण प्रबंधन में अनदेखी और देरी करने वाले को जेल हो। गंगा के प्रवाह को समझे बिना गंगा के किनारों पर जो घाट बने हैं उनसे गंगा के प्रवाह में बाधाएं पैदा हुई हैं। जलशोधन के नाम पर बन रहे शोधन संयंत्रों में मल-जल को संयंत्र तक पहुंचाने की ठीक व्यवस्था नहीं होने के कारण वह पहले की ही तरह गंगा में जाता है। एक तरफ संयंत्र बनाने, दूसरी तरफ पाइप लाइन बिछाने और तीसरी तरफ संयंत्र को चलाने वाली व्यवस्था पर जो खर्च होता है उसे उठाने के लिए स्थानीय तंत्र तैयार नहीं होता। उसमें भयावह तरीके से भ्रष्टाचार बढ़ा है। इससे गंगा कार्यों में सफलता नहीं मिली है। गंगा को निर्मल बनाने का काम देश के बड़े नेताओं को असंभव लगने लगा है। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले गंगा को अपनी प्राथमिकता बताया था, लेकिन अब उन्होंने गंगा का नाम लेना बंद कर दिया है। गंगा का बीओडी और सीओडी का स्तर बढ़ गया है। उसे ठीक करने के लिए एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो गंगा के लिए पूरी तरह समर्पित हो।

(जल-जन जोड़ो अभियान से संबद्ध लेखक विख्यात जल संरक्षण कार्यकर्ता हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

पुरुषार्थ

हर मनुष्य सुख और आनंद का जीवन जीना चाहता है। बहुत से लोग अपने सदाचरण और कर्मठता से सांसारिक आवश्यकताओं की प्राप्ति कर सुखमय जीवन जीते हैं तो बहुत से लोग भाग्य के सहारे सब कुछ पाने का आसरा लगाए रहते हैं। ऐसे लोग भाग्य में लिखा होगा तो सब कुछ मिलेगा, सोच कर बैठे रहते हैं तो कुछ लोग भगवान ही उनकी इच्छा पूरी करेगा, ऐसा मानकर पूजा-पाठ के सहारे सुखद जीवन की कल्पना करते रहते हैं। जबकि यह सत्य है कि बिना बीज के जैसे वृक्ष नहीं होता, उसी प्रकार बिना कर्मबीज के आकांक्षाओं का वृक्ष और उस पर फल नहीं लग सकते। धर्मग्रंथों में धर्म की जो व्याख्या है, वह यह बिल्कुल नहीं कि आकाश से भगवान प्रकट होकर आएंगे और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर देंगे। सच तो यह है कि धर्मानुसार जीवन व्यतीत करने से शरीर को संचालित करने वाला हमारा मन-मस्तिष्क हताश-निराश नहीं होता।

धर्मग्रंथों के बताए रास्ते पर सूझबूझ के साथ चलने पर आत्मबल मजबूत होता है। महाभारत के अनुशासन पर्व में इस बात का उल्लेख किया गया है। एक बार युधिष्ठिर ने इसी तरह का प्रश्न भीष्म पितामह से पूछा था कि भाग्य के सहारे जीना चाहिए या पुरुषार्थ के सहारे। जिस पर पितामह भीष्म ने कहा कि धर्म अपनाने और उसके अनुसार जीवन-पथ पर चलने से व्यक्ति की सोच और दृष्टि सुस्पष्ट होती है। वह चमत्कार से भौतिक उपलब्धि में नहीं पड़ता। वह सदैव सदाचरण करता है जिससे उसके जीवन में नकारात्मकता नहीं आती, जबकि भाग्य के सहारे जीने वाला पहले आलसी होता है और उसके बाद नकारात्मक हो जाता है, जिससे उसके इर्द-गिर्द तनाव डेरा डाल देता है।

फिर उसकी इस कमजोरी का दूसरे फायदा उठाने लगते हैं। धर्म के नाम पर ऐसे लोग खूब ठगे भी जाते हैं। भीष्म ने कहा कि भगवान प्रकट होकर सब कुछ दे देंगे, इस ख्वाहिश में पाखंडी लोग दान-दक्षिणा के नाम पर उसके पास जो कुछ धन है, उसे हड़प लेते हैं। भीष्म ने ऐसे दान जिससे घर के आश्रितों के जीवन-यापन में व्यवधान आता हो, उसे भी दोषपूर्ण कहा है। दान देने एवं लेने के अवसर और पात्रता पर भी महात्माओं ने खूब चिंतन-मनन के बाद सुस्पष्ट व्यवस्था दी है। इसलिए व्यक्ति को अपने पुरुषार्थ पर ही भरोसा करना चाहिए।

सलिल पांडेय

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

अविश्वास प्रस्ताव से बौना होता विपक्ष

संजय गुप्त का आलेख 'अपनी ही चाल में फंसा विपक्ष' कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष को आईना दिखा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव भले ही टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू की अपनी क्षेत्रीय राजनीति का हिस्सा हो, लेकिन समूचे विपक्ष खासकर कांग्रेस ने इसे जिस तरह से आम चुनाव से पूर्व सत्ता पक्ष को घेरने का नायाब अवसर बनाने की कोशिश की उस चाल में वह खुद ही फंस गई। वस्तुतः इस अविश्वास प्रस्ताव से कांग्रेस सहित समूचा विपक्ष इतना बौना हो गया है कि अब इससे उबर पाना उसके लिए असंभव सा है। देश की शिक्षा, कानून व्यवस्था, बढ़ती जनसंख्या, महिला उत्पीड़न, दिशाहीन युवा-शक्ति जैसे ज्वलंत मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरने के बजाय भारत को सशक्त बनाने वाले राफेल विमान सौदा, नोटबंदी, जीएसटी और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे राष्ट्रहितैषी मुद्दों पर अपनी नकारात्मक सोच प्रदर्शित करके कांग्रेस ने जिस अपरिपक्वता का परिचय दिया है, वह देश को निराश करने वाला है। आज सशक्त होती भाजपा को थामने के लिए जिस धारदार विपक्ष की जरूरत है, देश की जनता उसका अभाव महसूस कर रही है। इसके मूल में विपक्ष की वह अपरिपक्व और चिंतनशून्य वैचारिकता ही है जो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की राजनीतिक समझ और हाव-भाव में देखने को मिली। कमजोर विपक्ष की हताशा का कारण इनके वो भ्रष्ट कारनामे भी हैं जो अब एक-एक कर देश के सामने आ रहे हैं। देश के लिए बेमानी और निरर्थक से अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान आम जन-मानस ने यही महसूस किया है कि विचारपरक मुद्दों से दूर भागता विपक्ष मोदी सरकार को घेर पाने में पूरी तरह से विफल रहा है। मतदान के समय 451 की संख्या वाले सदन के अंदर 126 की गिनती तक सिमटने वाले विपक्ष ने मोदी सरकार की विश्वसनीयता को स्वतः बरकरार रखते हुए उसकी पुनः वापसी का जिस तरह से मार्ग प्रशस्त किया है वह अभूतपूर्व है।

pandeyvp1960@gmail.com

लोग कानून हाथ में न लें

गोतस्करी के संदेह में राजस्थान के अलवर जिले में भीड़ ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इससे पूर्व भी इसी तरह की घटनाएं देश में हुई हैं। इसके अलावा हमारे देश में कुछ जगह भीड़-तंत्र ने गुनहगारों या बेगुनाहों को पीट-पीट कर मार डाला। इस तरह की हिंसा को रोकने के लिए सरकार कानून बना रही है। न्यायपालिका भी इस पर विचार कर रही है। कोई भी धर्म मारपीट, दुर्व्यवहार और हिंसा की अनुमति नहीं देता। हमारे संस्कार और संस्कृति भी हमें भाईचारे और अहिंसा के सिद्धांत पर चलने का संदेश और उपदेश देती है। फिर इस देश में कतिपय लोगों की नादानी से हो रही घटनाएं हमें ही नहीं हमारी संस्कृति और संस्कार को भी बदनाम कर देती है। लोग कानून हाथ में ना लेते हुए उसे कानून के हवाले करें, ताकि देश की सभ्यता कलंकित होने से बच सके।

mahesh_nenava@yahoo.com

पोल खोलती बारिश

कहन को सरकार दिन रात योजनाएं बनाती रहती है, ताकि विकास के स्तर को ऊंचाईयों तक ले जा सके, पर बारिश इनकी योजनाओं का भंडाफोड़ देती है। बारिश के समय बड़े-बड़े महानगरों की क्या स्थिति हो जाती है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जलभराव, जाम की स्थिति, सड़कों का धंसना, बीमारियों का फैलना तो जैसे आम बात हो गई है। यह समस्याएं ज्यादा बड़ी नहीं हैं पर इनको बड़ा बनते देर नहीं लगता, जिससे आम आदमी को परेशानी झेलनी पड़ती है। इन्हीं कारणों से सरकार पर से लोगों का भरोसा उठने लगा है।

गीता, दिल्ली विश्वविद्यालय

उल्टा पड़ा विपक्ष का दांव

संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी एकता के लिए एक परीक्षण था जिसमें विपक्ष पूरी तरह से फेल हो गया। संसद में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां बीजू जनता दल और एआइडीएमके ने विपक्षी एकता में जाने से मना कर दिया। बीजू जनता दल ने यह कहते हुए सदन से वाकआउट किया कि 2004 के बाद उसके राज्य के विकास में किसी भी सरकार ने कोई भूमिका नहीं निभाई और वह इसलिए ना तो सरकार के साथ और ना ही विपक्ष के साथ रहना चाहता है। वहीं अन्नाद्रमुक ने सरकार के गठबंधन से अलग रह कर भी सरकार के पक्ष में वोटिंग की जिससे भाजपा को गठबंधन के लिए एक नया साथी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस अविश्वास के माध्यम से विपक्षी दलों को अपनी एकता के बारे में पता चल गया और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में वे और दलों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। आंध्र प्रदेश राज्य के बंटवारे के समय कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री ने राज्य के लिए विशेष दर्जे की बात कही थी और राज्य के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता जताई थी, लेकिन वास्तव में तत्कालीन सरकार ने राजनीतिक फायदे और चुनाव को देखते हुए उसका बंटवारा किया था। इसलिए प्रदेश की पार्टियां, तेलंगाना की पार्टियां कहीं ना कहीं कांग्रेस से दूर जाएंगी और दक्षिण भारत में कांग्रेस को गठबंधन बनाने में एक बड़ी समस्या आ सकती है, वहीं दूसरी ओर भाजपा के लिए यह एक सुनहरा अवसर साबित होगा और उसे नए गठबंधन बनाने के मौके मिलेंगे। इस पूरे में मामले में विपक्ष अपनी बात दमदार तरीके से कहने में भी विफल रहा। विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ नया नहीं था। घिसे-पिटे पुराने आरोप ही लगाए, जिसे सत्ता पक्ष ने खारिज कर दिया। कुल मिलाकर विपक्ष की ज्यादा किरकिरी हुई है।

नीरज झा, दिल्ली विश्वविद्यालय

ट्वीट-ट्वीट

तीन तलाक और निकाह हलाला के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाली निदा खान को पत्थरों से मारने का एक नया फतवा जारी हुआ है। क्या बॉलीवुड ब्रिगेड, बुद्धिजीवी और लिबरल में से कोई उनके समर्थन में आगे आएगा? अब किसी खास हैशटैग या अभियान की भी बात नहीं हो रही है।

गौरव सी सावंत@gauravcsawant

पाकिस्तान में सेना के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा उबल रहा है। चुनाव में खुलेआम नारा लगाया जा रहा है कि 'ये जो दहशतगर्दी है, उसके पीछे वर्दी है।'

स्मिता प्रकाश@smitaprakash

जिम्बॉब्वे क्रिकेट की दयनीय दशा को देखते हुए यही सवाल उठता है कि हमें कमजोर टीमों के खिलाफ रनों और विकेटों के रिकॉर्ड को भी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मजबूत टीमों सरीखा बराबरी का दर्जा क्यों देना चाहिए? क्या दोनों में अंतर करने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए?

आकाश चोपड़ा@cricketaakash

नरेंद्र मोदी को किसी भी तरीके से मात देने के लिए कांग्रेसी नेता अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया में भारत की छवि खराब करने के साथ ही विदेश नीति के मोर्चे पर हुए फायदों को गंवाने, भारत की योग संस्कृति और नैतिकता को ठेस पहुंचाने में लगे हैं ताकि लोग भारत आने के नाम से ही डरने लगें।

डॉ. डेविड फ्राउली@davidfrawleyved

जनपथ

रंगत आम चुनाव की यूं दिखलाए पाक,
आतंकी संसद चले नेता छाने खाक।
नेता छाने खाक झुकाए अपना झंडा,
चला रही है फौज वहां सारा एजेंडा।
भारत में जो लोग पाक से चाहें संगत,
पाकिस्तां की आज देख लें वह भी रंगत।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 29 अंक 6